

बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0-35/2012-13

1. विभाग का नाम: पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना ।
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता: पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(क्यू), बिहार, पटना ।
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय: दिनांक- 15/03/2013 अपराह्न 14.00 बजे तक।
4. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय: दिनांक- 15/03/2013 अपराह्न 16.00 बजे ।

निविदा प्राप्ति का स्थान पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना के कार्यालय भवन के मुख्य द्वार पर रखी निविदा पेटी।

5. कार्य का ब्योरा:

केन्द्र सरकार के निर्देश पर एस0आर0ई योजना के तहत उग्रवाद प्रभावित जिलों में कार्यरत जिला पुलिस बल, बिहार सैन्य पुलिस/ गृह रक्षावाहिनी/ सैप/ सी0आर0पी0एफ0 एवं उग्रवाद विरोधी अभियान में उक्त जिलों में प्रतिनियुक्त एस0टी0एफ0 के कुल 44731 पदाधिकारियों/ कर्मियों का 12 महीनों के लिए विशेष समूह जीवन बीमा कराया जाना है । इसके तहत देय राशियां अपंग/ घायल होने की स्थिति में स्वयं उन्हें तथा मृत होने की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को देय होंगी। उग्रवाद प्रभावित जिलों में पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, नवादा, जहानाबाद, अरवल, जमुई, मुंगेर, मोतिहारी, सीतामढ़ी एवं बेतिया (पुलिस जिला बगहा सहित) प्रीमियम राशि के विरुद्ध बीमा की राशि नीचे दिये गयी तालिका में भरकर दी जाय:-

क्रमांक	प्रीमियम की राशि	कर्तव्य पर मृत्यु हो जाने पर बीमा की पूर्ण राशि	स्थायी पूर्ण अपंगता (Permanent total disablement) अथवा दोनों पाँव, दोनों हाथ या दोनों आँख, अथवा एक हाथ और एक पाँव अथवा एक हाथ और एक आँख या एक पाँव और एक आँख के बेकार हो जाने पर बीमा की पूर्ण राशि	एक हाथ या एक पाँव या एक आँख के बेकार हो जाने पर बीमा की आधी राशि	जखमी होने पर अस्पताल में इलाज कराने का खर्च- वास्तविक खर्च	मृत्यु होने की स्थिति में उनके शव का घर तक पहुँचाने का खर्च	मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता होने की स्थिति में संबंधित पुलिसकर्मी के 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा हेतु अनुदान
1	800						
2	900						
3	1000						
4	1050						
5	1100						

स्थायी आंशिक अपंगता हो जाने पर बीमित राशि का प्रतिशत :

Nature of Injury	Compensation in percentage of Sum Assured	Nature of Injury	Compensation in percentage of Sum Assured
(i) Loss of toes- all - great both phalanges - great one phalanx - other than great, if more than one toe lost, each (ii) Loss of hearing both ears (iii) Loss of hearing one ear (iv) Loss of four fingers and thumb of one hand (v) Loss of four fingers		(vi) Loss of thumb- both phalanges - one phalanx (vii) Loss of index finger three Phalanges or two phalanges or One phalanx (viii) Loss of middle/ring/little finger 3 or 2 phalanges or 1 phalanx (ix) Loss of metacarpals first or second (additional) (x) Other permanent partial Disablement-	0% assessed by Doctor

अतः राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों से प्रतिकर्मी बीमा हेतु राशि प्रीमियम की तालिका में वर्णित राशि के विरुद्ध देय बीमा राशि ब्योरा के साथ निविदा आमंत्रित की जाती है ।

निविदा के नियमों, शर्तों एवं अन्य जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है या कार्यालय के सूचना पट तथा वेबसाईट www.prbbihar.gov.in or www.biharpolice.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।

ह 0 / -

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(क्यू)
बिहार, पटना ।

Terms & Conditions for Insurance of Bihar Police

1. The tender should be submitted in two parts, (1) Technical bid (2) Financial bid. Technical bid should contain all relevant documents and the technical specifications of the proposed insurance in accordance with the tender.
2. The technical bid and financial bid must be submitted separately, in two separate sealed envelopes and the envelopes should be marked “Short Tender No.35 / 2012-13 (Technical bid) and Short Tender No.35/2012-13 (Financial bid) along with the name and address of the tenderer. The sealed envelopes containing the technical and the financial bid should be placed in another sealed envelope which should be marked as “Short Tender No. 35/2012-2013. The envelope should not bear the name and address of the tenderer. If the financial bid is submitted in the same envelope containing the technical bid then it shall be summarily rejected.
3. The Technical bids received will be opened on 15/03/2013 At 16.00 PM in the office chamber of the undersigned. Representative of the tenderers may remain present at the time of opening of the technical bid and may be required to participate in discussions with the designated authority.
4. The financial bids of only those tenderers shall be opened who have been short listed after consideration of the technical bid. All valid tenderers will be given notice of the date and time for opening financial bids.
5. The premium tendered for the proposed insurance should be quoted indicating all taxes clearly and separately. Vague offers indicating taxes “as applicable” will be summarily rejected.
6. If there is any discount in the premium for the policy, it should be deducted from the tendered premium itself and should not be quoted separately.
7. The successful bidder will have to enter into an agreement with designated authority of Bihar Police.
8. D G of Police, Bihar, Patna reserves the right to reject any or all the tenders partially or fully without assigning any reason thereof.

Sd./-
AIG of Police (Q)
Bihar, Patna.